ग्राम पंचायत घालूवाल, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत घालूवाल, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का प्रथम अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत घालूवाल में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्रीमती सोना	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्री सुनील कुमार	01.04.2022 से 19.06.2023
2.	श्रीमती नीलम कुमारी	19.06.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत घालूवाल, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के लेखों अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से था :-

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**अनियमितताओं का संक्षिप्त सार**	**राशि (₹ लाखों में)**
1)	4 (ग)	रोकड़ बही व बैंक शेषों में अन्तर	0.47
2)	6.1	अनुदान उपयोग हेतु शेष	22.40
3)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष	0.65
4)	7.2	दुकानों के किराये की वसूली हेतु शेष	0.13
5)	8.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	6.60
6)	8.2	खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना भुगतान	6.09
7)	8.3	निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय	1.51
8)	8.4	क्रय की गई सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना	1.01
9)	8.5	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना	0.25
10)	8.6	मनरेगा व स्वच्छ भारत मिशन शीर्ष से अनियमित भुगतान	0.12
11)	9	व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	1.17

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत घालूवाल, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14.11.2024 से 21.11.2024 तक ग्राम पंचायत घालूवाल के कार्यालय में किया गया | आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	10/2022
2023-24	04/2023	06/2023

"इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है | उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत घालूवाल, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4800** आंका गया | उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 949/2024 दिनांक 21/11/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत घालूवाल द्वारा कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित हरोली के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 294050 दिनांक 27/11/2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

सचिव, ग्राम पंचायत घालूवाल द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 929/2024 दिनांक 14/11/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/22 से 03/24 के लेखों की संकलित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्र परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आठ रोकड़ बहियों अर्थात् स्वः स्त्रोत व अनुदान (समेकित रोकड़ बही) Offline, स्वच्छ भारत मिशन (PFMS & Grants) Offline, एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना Offline, 15वां वित्तायोग Online, इंदिरा आवास

योजना Offline, एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना (अंशदान) Offline, 14वां वित्तायोग Offline व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (₹) (5-6)**
1	2022-23	2484641.70	4673122.59	7157764.29	4827977.89	2329786.40
2	2023-24	2329786.4	2276641.12	4606427.52	2319625.12	2286802.40

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत घालूवाल के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.24 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में अन्तर **₹46604.80** था :-

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	2286802.40
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	**2333407.20**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	0.00
4)	**योग (2+3)**	**2333407.20**
5)	**अन्तर (4-1)**	**46604.80**

ग) रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.47 लाख के अन्तर बारे :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को **निम्न विवरणानुसार** शीर्षों की रोकड बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में **₹46604.80** का अन्तर पाया गया | अत: इस

सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 935/2024 दिनांक 19/11/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 24 दिनांक 21/11/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि अंतर के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा| अतः अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>रोकड़ बही का नाम</th><th>दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष</th><th>दिनांक 31.03.2024 को बैंक व हस्तगत शेष का योग</th><th>अन्तर (₹)</th><th>अंतर का कारण</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5(4-3)</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>15th fc</td><td>1651198.00</td><td>1697809.40</td><td>46611.40</td><td>अंतर के कारण :-1) वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15वें वित्तायोग शीर्ष के बैंक खाते में निम्नानुसार ब्याज का क्रेडिट दिया गया, जिसे दिनांक 31/03/24 तक 15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही के आय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया |
<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>दिनांक</th><th>राशि (₹)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>07.06.23</td><td>8888</td></tr>
<tr><td>2</td><td>04.09.23</td><td>11063</td></tr>
<tr><td>3</td><td>06.12.23</td><td>13576</td></tr>
<tr><td>4</td><td>06.03.24</td><td>13344</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>46871</td></tr>
</table>
2) वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15वें वित्तायोग शीर्ष के बैंक खाते से निम्नानुसार बैंक चार्जेज काटे गये, जिसे दिनांक 31/03/24 तक 15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही के व्यय पक्ष में लेखांकित नहीं किया गया |
<table>
<tr><th>क्रम संख्या</th><th>दिनांक</th><th>राशि (₹)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>11.01.23</td><td>141.6</td></tr>
<tr><td>2</td><td>06.02.23</td><td>118</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>259.6</td></tr>
</table>
कुल अंतर (46871-259.60) = 46611.40</td></tr>
</table>

2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	457061.60	457055.00	-6.60	
			योग	**46604.8**	

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 929/2024 दिनांक 14/11/2024 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 22 दिनांक 21/11/2024 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान ₹22.40 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 929/2024 दिनांक 14/11/2024 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट क)** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में **₹2239707.40** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है । अत: ऐसे अनुदान जिनकी विहित अवधि समाप्त हो चुकी हो, तो इसका कारण स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 929/2024 दिनांक 14/11/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 22 दिनांक 21/11/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 929/2024 दिनांक 14/11/2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 22 दिनांक 21/11/2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वयं स्त्रोत

7.1 पंचायत राजस्व ₹0.65 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 929/2024 दिनांक 14/11/2024 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या 22 दिनांक 21/11/2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹65000 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	32500	32500	00	32500
2023-24	32500	32500	65000	00	65000

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 दुकानों के किराये के रूप में ₹0.13 लाख की वसूली हेतु शेष :-

सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 929/2024 दिनांक 14/11/2024 के प्रत्युत्तर में यथा (**परिशिष्ट - ग**) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/24 तक दुकानों के किराये के रूप में **₹13000** वसूली हेतू शेष थी | अत: दुकानों के किराये के रूप में शेष बची राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व दुकानों के किराये के रूप में शेष बची राशि की अविलम्ब वसूली करने के उपरांत यह राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाए |

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021-22	0	12000	12000	11000	1000
2022-23	1000	12000	13000	00	13000

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.04 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **(सलंग्र परिशिष्ट घ अनुसार)** वसूली गई राशि **₹4000** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2022-23	2600
2	2023-24	1400
	योग	**4000**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 936/2024 दिनांक 19/11/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 24 दिनांक 21/11/2024द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.4 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.02 लाख की कम वसूली करना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति

पंजिकरण तथा देरी के लिए दुगनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान **सलंग्न परिशिष्ट घ में** वर्णित मामलों में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों **से ₹1600** की कम वसूली की गई थी :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष राशि (₹)
1	2022-23	600
2	2023-24	1000
	योग	**1600**

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 937/2024 दिनांक 19/11/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 24 दिनांक 21/11/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूल की गई राशि की वसूली सम्बन्धित से करके राजकीय कोष के मद 0070-60-108-01 में जमा करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा।

7.5 प्रधान / सचिव द्वारा ₹0.01 लाख का रोकड़ शेष से नगद रूप में भुगतान करना :-

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से किए गए व्यय के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार ₹1170 के** कार्यालय व्यय हेतु भुगतान रोकड़ शेष में पड़ी हस्तगत राशि से नगद रूप में किया गया, जबकि हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 17(2) के अनुसार **₹1000** से अधिक राशि का भुगतान केवल चैक द्वारा ही सम्बन्धित को किया जा सकता है | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 939/2024 दिनांक 20/11/24 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या 24 दिनांक 21/11/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट गया कि उक्त नगद भुगतान गलती से चूकवश हो गए थे, जिसे अब RTGS / Cheque / NEFT द्वारा किया जा रहा है तथा ऐसी गलती को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है

क्योंकि नियमानुसार व्यक्तियों को भुगतान करने से पूर्व उनके बैंक में खाते आवश्यक रूप में खुले होने चाहिए थे। अतः नियमों के विपरीत किए गए व्यय के दृष्टिगत राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए राशि का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

क्रम संख्या	दिनांक	भुगतान की गई राशि (आहरित + हस्तगत)	टिप्पणी
1	05.06.23	1170	कार्यालय व्यय

8.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹6.60 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा सलंग्न **परिशिष्ट "ड."** अनुसार कुल **₹660333** की सामग्री में से **₹450333** की सामग्री का क्रय निविदाएँ आमंत्रित किए बिना ही किया गया था तथा शेष **₹210000** (660333-450333) की सामग्री का क्रय मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार (Wide publicity) अर्थात् कम से कम दो समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर किया जाना अपेक्षित था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 940/2024 दिनांक 20/11/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 24 दिनांक 21/11/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितता को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। अत: सचिव को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

8.2 आपूर्तिकर्ता से क्रय की गई खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹6.09 लाख का अनियमित भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी की कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्लयू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान **सलंग्न परिशिष्ट "च" पर** उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹609266** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 944/2024 दिनांक 21/11/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 24 दिनांक 21/11/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्लू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: **₹609266** के अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बंधित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये |

8.3 ₹1.51 लाख की निर्माण सामग्री का अनियमित क्रय :-

सचिव (RD & PR) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या No. PCH-HC(10)FFC-Misc-60819-978 दिनांक 13.11.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से किया जाना अपेक्षित था तथा यदि उक्त निर्माण सामग्री हिमाचल प्रदेश सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से उपलब्ध नहीं होती है, तो पंचायत द्वारा उक्त निर्माण सामग्री का क्रय खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया जा सकता है | परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 10/2022 व 06/2023 में **₹150568** की निर्माण सामग्री पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय हि० प्र० सरकार के भण्डार नियन्त्रण के Rate Contract अथवा GeM Portel से अनुपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ही खुले बाजार से निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 942/2024 दिनांक 21/11/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 24 दिनांक 21/11/2024 द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान पेवर ब्लॉक्स का क्रय खुले बाजार से मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित करके किया गया था, जबकि यह क्रय उपरोक्त निर्देशों के अनुसार किया जाना वांछित था तथा भविष्य में उपरोक्त वर्णित पत्रानुसार जारी निर्देशों के अनुसार पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स के क्रय हेतू कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | अतः उक्त व्यय को सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही पेवर ब्लॉक्स तथा टाइल्स का क्रय करना सुनिश्चित करें :-

क्रम संख्या	**मद**	**बिल संख्या**	**दिनांक**	**विवरण**	**राशि(18% GST सहित)**
1	मनरेगा	0139	01.11.22	2600 पेवर / ब्लॉक्स @ 12.98 प्रति पेवर / ब्लॉक्स	33748
2	15वें वित्तायोग	133 to 135	01.10.22	9000 पेवर / ब्लॉक्स @ 12.98 प्रति पेवर / ब्लॉक्स	116820
				योग	**150568**

8.4 ₹1.01 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है । परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 10/2022 व 06/2023 में **सलंग्न परिशिष्ट "छ" अनुसार ₹101078** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 941/2024 दिनांक 21/11/2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत घालूवाल के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 24 दिनांक 21/11/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

8.5 आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से स्त्रोत पर ₹0.25 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा

करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में आपूर्तिकर्ता को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "ज"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **₹1250135** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर **₹25002.70** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.टी.डी. एस. की कटौती योग्य राशि (₹)
1	2022-23	Anmol Enterprises Dhamandri	Pavers/ blocks	329725	329725	6594.50 (2% x 329725)
2	2022-23	Jatin Spun Pipes Chhaterpur Dhada	RCC Pipes	257500	257500	5150 (2% x 257500)
3	2023-24	M/s Gagan & Brothers Ghaluwal	Angle, Railling net, Sitting Bench	662910	662910	13258.20 (2% x 662910)
				योग	**1250135**	**25002.70**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 945/2024 दिनांक 21/11/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 24 दिनांक 21/11/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित **₹25002.70** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से इस अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.6 मनरेगा व स्वच्छ भारत मिशन शीर्ष से ₹0.12 लाख का अधिक भुगतान करना :-

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के चयनित माह 06/2023 में मनरेगा व स्वच्छ भारत मिशन शीर्ष से करवाए गए **निम्नानुसार** निर्माण कार्यों के अंकेक्षण दौरान पाया

गया कि माप पुस्तिकाओं में निर्माण सामग्री बजरी व रेत का निष्पादन कम किया गया दर्शाया गया था, जबकि इन कार्यों के लिए निर्माण सामग्री अधिक जारी की गई थी तथा शेष बची हुई सामग्री को सामग्री स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार** सामग्री को खपत से अधिक जारी करने के कारण **₹12006** का अधिक भुगतान किया गया था।

क) कार्य का नाम :- निर्माण सम्पर्क मार्ग सीता राम के खेत से लेकर गैस देव के घर तक (मनरेगा शीर्ष)

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा (घन मीटर)**	**बजरी**
29783, 89	P/L1:6:12	66.94	59.57
90	P/L 1:6:12	18.33	16.31
90	P/L 1:2:4	66.94	59.57
90	P/L 1:5:10	8.1	7.20
91	P/L 1:2:4	13.75	12.23
	योग	174.06	154.88
	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 70 (MNREGA), 13 (15th fc) अनुसार जारी / खपत मात्रा		**177.00**
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		22.12
	क्रय दर		436.80 (प्रति घन मीटर)
	अधिक भुगतान (22.12×436.80)		**9662.01**

ख) कार्य का नाम :- C/o Drainage System from the field of Vedi to field of Ramesh (स्वच्छ भारत मिशन शीर्ष)

मापन पुस्तिका व पृष्ठ संख्या	**मद का नाम**	**मात्रा (घन मीटर)**	**रेत**
29832, 89	P/L1:6:12	5	2.35
89	B/W 1:5	2.33	0.60
90	P/L 1:4:8	6.25	2.93

90	P/L 1:3:6	1.16	0.54
	योग		**6.42**
	स्टॉक रजिस्टर पृष्ठ संख्या 13 अनुसार जारी / खपत मात्रा		12.00
	अधिक खपत / जारी निर्माण सामग्री		5.58
	क्रय दर		420 (प्रति घन मीटर)
	अधिक भुगतान (5.58×420)		**2344.00**

कुल अधिक भुगतान (क+ख) = 12006

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 938/2024 व 948/2024 दिनांक 20/11/2024 व 21/11/2024 के अन्तर्गत सचिव ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया। प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 24 दिनांक 21/11/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अधिक भुगतान **₹12006** के सन्दर्भ में उचित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा |

9 ₹1.17 लाख के व्यय के समर्थन से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 10/2022 में **निम्न विवरणानुसार** कार्य हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत **₹116501** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण अधियाचना संख्या 943/2024 दिनांक 21/11/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 24 दिनांक 21/11/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्य से सम्बन्धित अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः अपेक्षित अभिलेक्ष शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	कार्य का नाम	बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक	सामग्री	राशि (₹)	टिप्पणी
1	SBM	5 to 9 10/22	C/O Drainage System from the field of vedi to field of Ramesh	61077 dtd. 14.10.22, vr. 6 dtd. 01.10.22, vr. 7 dtd ..,2627-2628 dtd 04.08.22	रेत, बजरी, RCC Pipes इत्यादि	116501	प्राक्कलन अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।
					योग	**116501**	

10 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है, जिस प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्राधिकृत किया गया था। परन्तु ग्राम पंचायत के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण दौरान पर पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं था, जिनके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 946/2024 दिनांक 21/11/2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या 24 दिनांक 21/11/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने के उपरांत ही भुगतान किया जाएगा।

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनांक	सामग्री का नाम	राशि (₹)
1	15^{th} fc	47, 10.09.22	Steel	4718
2	15^{th} fc	48, 11.09.22	Steel	5078
3	15^{th} fc	Vr no. 48, 01.10.22	रेत,बजरा	23193
4	15^{th} fc	048, 25.09.22	Shutering	3799
5	SBM	745 to 749, 10.06.23	Steel Angles, Sheets	210000

11.1 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 930/2024 दिनांक 14/11/2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना

वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 23 दिनांक 21/11/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

क्रम संख्या	**रजिस्टर / अभिलेख**	**फार्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालना (वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु)	--	7 (2 व 3)

11.2 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 947/2024 दिनांक 21/11/2024 द्वारा पंचायत सचिव से रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5(5) के अनुसार बनाया जाना वांछित था | प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 24 दिनांक 21/11/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि सचिव द्वारा रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया, जिसे नियमानुसार बनाकर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा | अत: वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतू प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

12 **प्रत्यक्ष सत्यापन:-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 929/2024 दिनांक 14/11/2024 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या 22 दिनांक 21/11/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर आगामी अंकेक्षण पर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है |

14 **निष्कर्ष:-** लेखाओं में सुधार की आवश्यकता है।

28 JAN 2025

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

722-726 का०/प्रति०

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)118/2025–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत घालूवाल, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

28 JAN 2025

(मनजीत भाटिया)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का०/प्रति०

परिशिष्ट "क"

पैरा संख्या 4 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत घालूवाल, विकास खण्ड हरोली व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

संकलित वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष**	**आय ब्याज सहित**	**कुल योग(3+4)**	**व्यय**	**अंतिम शेष(5-6)**
1	2022-23	2484641.70	4673122.59	7157764.29	4827977.89	2329786.40
2	2023-24	2329786.4	2276641.12	4606427.52	2319625.12	2286802.40

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत घालूवाल
विकास खण्ड हरोली (हि0प्र0)

1(i)

ग्राम पंचायत घालूवाल, विकास खण्ड हरोली व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत व अनुदान (समेकित)Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	598169.6	1959609	2557778.6	1757796	799982.6
2	2023-24	799982.6	429385	1229367.6	772306	457061.6

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत घालूवाल
विकास खण्ड हरोली (ऊना)

1(i) ग्राम पंचायत घालूवाल, विकास खण्ड हरोली व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

स्वयं स्त्रोत Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष**	**आय ब्याज सहित**	**कुल योग(3+4)**	**व्यय**	**अंतिम शेष(5-6)**
1	2022-23	33242	23728	56970	11257	45713
2	2023-24	45713	5132	50845	3750	47095

1(ii)

अनुदान Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष**	**आय ब्याज सहित**	**कुल योग(3+4)**	**व्यय**	**अंतिम शेष(5-6)**
1	2022-23	564927.6	1935881	2500808.6	1746539	754269.6
2	2023-24	754269.6	424253	1178522.6	768556	409966.6

प्रभारी सचिव
ग्राम पंचायत घालूवाल
विकास खण्ड हरोली (ऊना)

2. स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.4.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	10171.2	497079	507250.2	496836.4	10413.8
2	2023-24	10413.8	222285	232698.8	222000	10698.8

3. 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1173396	1368296	2541692	1185570	1356122
2	2023-24	1356122	963606	2319728	668530	1651198

4. मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0	683309.59	683309.59	683309.59	0
2	2023-24	0	656789.12	656789.12	656789.12	0

5. इंदिरा आवास योजना (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	8707.00	248	8955	0.00	8955
2	2023-24	8955	273	9228	0	9228

पंचायत सचिव

6. 14वां वित्तायोग (Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	64719.00	1237	65956	65956.00	0
2	2023-24	0	83	83	0	83.00

7. एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	479268.9	159241	638509.9	638509.90	0
2	2023-24	0	0	0	0	0

8. एकीकृत जलागम प्रबन्धन परियोजना (अंशदान) Offline की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	150210	4103	154313	0.00	154313
2	2023-24	154313	4220	158533	0	158533

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ...
विकास खण्ड हरौली (...)

1)	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही खाता पैरा 4(क) का अंतशेष	2286802.40
2)	दिनांक 31.03.24 को बैंक का अन्तशेष (परिशिष्ट क-1)	**2333407.20**
3)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान)	0.00
4)	**योग (2+3)**	**2333407.20**
5)	**अन्तर (4-1)**	**46604.80**

परिशिष्ट क-1 पैरा संख्या 4 (ख) में संदर्भित

दिनांक 31.03.24 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB HAROLI (GIA)	20048032904	409960.00
	KCCB UNA (SABHA NIDHI)	20013063149	47095.00
	PNB BADEHRA (15TH FC)	9319000100011030	1697809.40
	PNB SALOH (IWMP)	1727000104043957	0.00
	PNB HAROLI (IWMP CONTRIBUTION SHARE)	6810000100014386	158533.00
	KCCB BHADSALI (14TH FC)	50067673524	83.00
	PNB SALOH (SBM)	1727000104098692	10698.80
	KCCB HAROLI (IAY)	20048033204	9228.00
		योग	**2333407.2**
2		**हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत व अनुदान समेकित)**	**0.00**
		हस्तगत राशि (SBM)	0.00
		योग	**0.00**
		कुल योग (1+2)	**2333407.2**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
विकास खण्ड हरोली (ऊना)

परिशिष्ट "ख" पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत घालूवाल, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2022-23	0	32500	32500	00	32500
2023-24	32500	32500	65000	00	65000

नोट :- ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2022 तक गृहकर से सम्बन्धित कोई भी रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था।

परिशिष्ट "ग" पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित

ग्राम पंचायत धालूवाल, विकास खण्ड हरोली, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक दुकान किराये की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2022-23	0	12000	12000	11000	1000
2023-24	1000	12000	13000	00	13000

नोट :- ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2022 तक किराये से सम्बन्धित कोई भी रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत धालूवाल
विकास खण्ड हरोली (ऊना)

परिशिष्ट "ग" पैरा संख्या 7.2 में संदर्भित

List of outstanding Shop Rent period 04/2022 to 03/2023 in r/o Gram Panchayat- Ghaluwal, Block Una							
Sr. No.	Shop No.	Name of Tenant	Opening Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	CLOSING BALANCE
1	1	Jasmer Singh Raizada	0	6000	6000	5500	500
2	2	Jasmer Singh Raizada	0	6000	6000	5500	500
		Total	**0**	**12000**	**12000**	**11000**	**1000**

List of outstanding Shop Rent period 04/2023 to 03/2024 in r/o Gram Panchayat- Ghaluwal, Block Una							
Sr. No.	Shop No	Name of Tenant	Opening Balance	Demand during the year	Total	Collection during the year	CLOSING BALANCE
1	1	Jasmer Singh Raizada	500	6000	6500	0	6500
2	2	Jasmer Singh Raizada	500	6000	6500	0	6500
		Total	1000	12000	13000	0	13000

Neeh

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत घलूवाल
विकास खण्ड हरोली (हि०प्र०)

परिशिष्ट 'ध' पैरा संख्या 7.3 में सन्दर्भित

DETAIL OF MARRIAGE REGISTRATION FEES YEAR 2022-23							
क्रम सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद स	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	SMEER ROSHAN	21.4.2022	28.4.2022	491610	200	200	0
2	JTINDER SINGH	1.5.2022	10.5.2022	491615	200	200	0
3	ROHIT JASWAL	16.5.2022	3.6.2022	491618	200	200	0
4	SUGREEV SINGH	31.5.2022	18.6.2022	491622	200	200	0
5	GAURAV JASWAL	21.6.2022	18.7.2022	491624	200	200	0
6	AVINASH KUMAR	5.8.2022	18.10.2022	491635	400	400	0
7	CHANDER KANT HEERA	4.12.2022	21.12.2022	491642	200	200	0
8	RAVIDER KUMAR	2.12.2022	28.1.2023		400	0	400
9	ROHIT KUMAR	11.12.2022	2.2.2023	491647	400	200	200
10	AMIT KUMAR	27.1.2023	14.2.2023	491648	200	200	0
11	MUKESH SAINI	31.1.2023	14.2.2023	491649	200	200	0
12	RAVINDER THAKUR	22.2.2023	7.3.2023	491650	200	200	0
13	PUNEET KUMAR SHARMA	22.2.2023	22.3.2023	491656	200	200	0
				योग	3200	2600	600

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत पालकवाह
विकास खण्ड हरोली (हि०प्र०)

DETAIL OF MARRIAGE REGISTRATION FEES YEA				2023-2024			
क्रम सं०	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद स	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	वसूली हेतु शेष राशि
1	SHIVAM SHRMA	11.6.2023	1.7.2023	491670	200	200	0
2	VIVEK SINGH	24.9.2023	25.10.2023	...	400	0	400
3	KARAN PURI	26.9.2023	25.10.2023	491675	200	200	0
4	DEEPAK DHIMAN	24.9.2023	26.10.2023	491676	400	200	200
5	ANKUSH KUMAR	19.10.2023	26.10.2023	491677	200	200	0
6	PRDEEP KUMAR	20.9.2023	26.10.2023	491678	400	200	200
7	ANIL SHARMA	21.10.2023	26.10.2023	491679	200	200	0
8	AMAN DEEP	24.9.2023	26.10.2023	491681	400	200	200
				योग	2400	1400	1000

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]
विकास खण्ड हरोली (ऊना)

परिशिष्ट 'ङ'   पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

औपचारिकताएं पूर्ण किए विना क्रय करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	टिप्पणी
1	MNREGA	06/23	24 01.08.22	M/s Harsh Enterprises Ghaluwal	रेत, बजरी	33118	
2	MNREGA	06/23	709 17.01.23	M/s Gagan & Brothers Vill. Ghaluwal	झुला	49914	
3	MNREGA	06/23	710 17.01.23	M/s Gagan & Brothers Vill. Ghaluwal	झुला	49914	
4	MNREGA	06/23	711 18.01.23	M/s Gagan & Brothers Vill. Ghaluwal	बेन्चेस	14160	
5	MNREGA	06/23	793 19.01.23	M/s Gagan & Brothers Vill. Ghaluwal	पाइप, बेन्चेस	20634	
6	MNREGA	06/23	01 02.01.23	M/s Harsh Enterprises Vill. Ghaluwal	बजरा	51105	
7	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	10/22	027, 30,28, 29 25.08.22, 08.09.22, 01.09.22	Jai Jawala Traders ghaluwal	रेत, बजरी	53076	
8	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	10/22	531 24.07.22	Dault ram Dogra BKO Saloh	इंटें	16352	
9	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	06/23	401 02.05.23	Om Prakash Painter Dharampur	Board Writing	15120	
10	15^{th} fc	10/22	47 10.09.22	Puri Cement Store Saloh	Steel	4718	
11	15^{th} fc	10/22	48	Puri Cement	Steel	5078	

			11.09.22	Store Saloh			
12	15th fc	10/22	Vr no. 48 01.10.22	M/s Harsh Enterprises Vill. Ghaluwal	रेत,बजरा	23193	
13	15th fc	06/23	048 25.09.22	Ashok kumar Nangran	Shutering	3799	
14	15th fc	06/23	295 10.03.23	Patial Enterprises Saloh	PVC Pipe	2878	
15	15th fc	06/23	050 30.04.22	Ashok kumar Nangran	Shutering	1381	
16	SBM	10/22	2627, 2628 04.08.22	Jatin Spun Pipe Chhaterpur Dhada	RCC Pipes	88500	
17	SBM	10/22	Vr no. 6 01.10.22	M/s Harsh Enterprises Vill. Ghaluwal	रेत,बजरा	15743	
18	SBM	10/22	Vr no. 7 --	M/s Harsh Enterprises Vill. Ghaluwal	सीमेंट ढुलाई	1650	
19	SBM	06/23	745 to 749 10.06.23	M/s Gagan & Brothers Ghaluwal	Steel Angles, Sheets	210000	मात्र तीन नंबर निविदाएँ आमंत्रित की गई थी, जबकि उक्त क्रय व्यापक प्रचार द्वारा किया जाना वांछित था।
					योग	**660333**	

Junior Auditor,
H.P. State Audit Department
Shimla-171009
Audit Circle Una

परिशिष्ट 'च'   पैरा संख्या4.2में संदर्भित

कार्यालय ग्राम पंचायत घालुवाल
विकास खण्ड हरोली जिला ऊना(हि० प्र०)

अंकेक्षण अवधि **04/2022 से 03/2024** के दौरान रेत, बजरी, गटका व पत्थर क्रय करने की सूची

क्र०स०	योजना	वाउचर स०/माह	कार्य का नाम	बिल स०/ दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामग्री	राशि WITH GST
1.	मनरेगा	01/22	नि० चारदीवारी व फर्शीकरण पंचायतघर घालुवाल	009 11/01/2022	जय ज्वाला ट्रेडर	गटका स्टोन डस्ट	6279
2.	मनरेगा	01/22	नि० चारदीवारी व फर्शीकरण पंचायतघर घालुवाल	46 17/01/2022	M/S/Harsh Enterprises	गटका रेत बजरी	20328
3.	मनरेगा	03/23	नि० पंचवटी पार्क जसवाल देहरियां (एक साल पांच काम)	24 01/08/2022	M/S/Harsh Enterprises	गटका रेत बजरा बजरी स्टोन डस्ट	31122
4.	मनरेगा	01/23	नि० सम्पर्क मार्ग सीता राम के खेत से लेकर गैस देव के घर तक	01 02/01/2023	M/S/Harsh Enterprises	बजरा	51105
5.	Sabha Fund	08 01/22	R/O Path From main road to H/O Palla Ram	47 01/01/2022	M/S/Harsh Enterprises	बजरी रेत	30811
6	Sabha Fund	43 08/22	मुरम्मत रास्ता मैन रोड से राजा राम के घर तक	016 07/06/2022	जय ज्वाला ट्रेडर	गटका रेत बजरा बजरी स्टोन डस्ट	8433
7	Sabha Fund	24 05/23	R/O Rasta main road to H/O Raja Ram	213 24/03/2023	M/S/Harsh Enterprises	बजरी रेत	3884
8	Sabha Fund	26 05/23	R/O rasta Manu house to Satpal master	214 24/03/2023	M/S/Harsh Enterprises	गटका रेत बजरी	17315
9	Sabha Fund	21	R/O rasta balveer house to Satpal master	211 15/03/2023	M/S Harsh Enterprises	गटका रेत बजरा बजरीडस्ट	12175

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत घालुवाल
विकास खण्ड हरोली (ऊना)

10	Sabha Fund	27 07/22	PMKKY Rata Satveer land to main road	017 14/06/2022	जय ज्वाला ट्रेडर	बजरी रेत	12458
11	SDP	38 07/22	Pucca path main link road to H/O BakshishW.No. 04	019 12/07/2022	जय ज्वाला ट्रेडर	बजरी रेत	15284
12	SDP	45 08/22	Pucca path main link road to H/O BakshishW.No. 04	020 25/7/2022	जय ज्वाला ट्रेडर	रेत	3339
13	SDP	65 10/22	C/O Shamshanghat W.No.03	27 25/08/2022	जय ज्वाला ट्रेडर	गटका रेत बजरी	30057
14	SDP	67 10/22	नि० सामुदायिक भवन	028 01/09/2022	जय ज्वाला ट्रेडर	बजरी रेत	14449
15	SDP	82 12/22	निर्माण पक्का रास्ता अरविन्द के घर से रमेश के घर तक वार्ड न 6	शून्य 11/10/2022	M/S/Harsh Enterprises	रेत बजरी बजरा	54570
16	SDP	94 1/2023	C/O Shamshanghat W.No.03	शून्य 1/11/2022	M/S/Harsh Enterprises	गटका रेत बजरा	40798
17	SDP	119 3/2023	C/O Shamshanghat W.No.03	शून्य 20/2/2023	M/S/Harsh Enterprises	बजरी रेत	3884[illegible]
18	SDP	3 04/2023	C/O Rain sheter near salohnalka Bas Stop	शून्य 9/10/2022	M/S/Harsh Enterprises	रेत बजरी बजरा	14218
19	SDP	4 10/2022	C/O Rain sheter near salohnalka Bas Stop	शून्य 9/10/2022	M/S/Harsh Enterprises	गटका रेत बजरी	6505
20	15th	15 6/2022	निर्माण रास्ता गुरबचन के घर से लेकर शिव कुमार के घर तक	14 16/4/2022	जय ज्वाला ट्रेडर	रेत बजरीडस्ट	19128
21	15th	17,18 7/2022	C/O सोक पिट तरुण कुमार और विपन पूरी	13 16/4/2022	जय ज्वाला ट्रेडर	बजरी रेत	4238
22	15th	23 8/2022	Pucca path main link road to H/O BakshishW.No. 04	21 16/08/2022	जय ज्वाला ट्रेडर	बजरी बजरा	11416
23	15th	48 10/2022	रास्ता मुनीश के घर से लेकर सतीशन के घर तक	शून्य 1/10/2022	M/S/Harsh Enterprises	गटका रेत बजरा बजरीडस्ट	23193

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खंड

24	15th	50 10/2022	निर्माण रास्ता मेन गोहरी से लेकर नरिंदर पूरी के	शून्य 6/10/2055	M/S/Harsh Enterprises	गटका रेत बजरा बजरीडस्ट	21350
25	15th	65 /1/23	नि० पंचवटी पार्क जसवाल देहरियां (एक साल पांच काम)	शून्य 1/11/2022	M/S/Harsh Enterprises	गटका रेत बजरा बजरीडस्ट	13643
26	15 th	713/2023	निर्माण नाला गुरबचन के घर से लेकर पुली तक	71 20/2/2023	M/S/Harsh Enterprises	रेत बजरी	3884
27	15TH	1 4/2023	नि० सम्पर्क मार्ग सीता राम के खेत से लेकर गैस देव के घर तक	01 01/10/2022	M/S/Harsh Enterprises	बजरी रेत	77887
28	15 TH	21/ 3/2024	निर्माण रास्ता मेन रोड से लेकर युधवीर के घर तक	02 24/12/2023	SANJEEV KUMAR	बजरी रेत	7119
29	15 TH	22 3/2024	निर्माण रास्ता मेन रोड से लेकर युधवीर के घर तक	1 24/12/2023	SANJEEV KUMAR	बजरी रेत	19057
30	15 TH	3/2024	निर्माण रास्ता मेन रोड से लेकर दविंदर के घर तक	04 27/3/2024	SANJEEV KUMAR	बजरी	12045
31	15 TH	25 3/2024	CHILDREN PARK AND OPAN JIM	6 27/03/2024	SANJEEV KUMAR	रेत	3549
32	SBM	06 12/22	नि० नाला वेदी के खेत से लेकर रमेश के खेत तक	6 01/10/2022	M/S/Harsh Enterprises	बजरी रेत गटका	15743
						योग	**609266**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड हरोली

परिशिष्ट 'ढ' पैरा संख्या 8.5 में संदर्भित

सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना

क्रमांक	शीर्ष का नाम	भुगतान माह	वाउचर / बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	मनरेगा	06/23	3948 07.02.23	M/s Sandhu Nursery & Seeds Vill. Sanjhot	Plants	9800
2	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	10/22	115729 22.10.23	HP Civil Supply Haroli	सीमेंट	35360
3	स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित)	10/22	115735 30.10.23	HP Civil Supply Haroli	सीमेंट	53040
4	15th fc	06/23	295 10.03.23	Patial Enterprises Saloh	PVC Pipe	2878
					योग	**101078**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड हरोली (हि.प्र.)

(Devraj)
Junior Auditor,
H.P. State Audit Department
Shimla-171009
Audit Circle Una

परिशिष्ट 'ज'   पैरा संख्या 4.5 में सन्दर्भित

कार्यालय ग्राम पंचायत घालुवाल

विकास खण्ड हरोली जिला ऊना हि० प्र०

वित्तीय बर्ष 2022-23 मे ANMOL INTERPRISES DHAMANDRI को भुगतान की गई राशि का विवरण :-

क्र० स०	मद का नाम	बिल संख्या	दिनांक	सामग्री	राशि (GST को छोड़कर)
1.	MGNREGA	43	01.01.2022	Interlock	31800
2.	MGNREGA	92	11.01.2022	Interlock	11925
3.	MGNREGA	0109	16.04.2022	Interlock	38500
4.	MGNREGA	0110	22.04.2022	Interlock	38500
5	15TH	0111	30.04.2022	Interlock	33000
6	15TH	0133	01.10.2022	Interlock	33000
7	15TH	0134	01.10.2022	Interlock	33000
8	15TH	0135	02.10.2022	Interlock	33000
9	15TH	0136	02.10.2022	Interlock	11000
10	15TH	0132	01.08.2022	Interlock	33000
11	15TH	0138	15.08.2022	Interlock	33000
			योग		329725

कार्यालय ग्राम पंचायत घालुवाल

विकास खण्ड हरोली जिला ऊना हि० प्र०

वित्तीय बर्ष 2022-23 मे JATIN SPUN PIPES CHHATERPUR DHADA को भुगतान की गई राशि का विवरण :-

क्र० स०	मद का नाम	बिल संख्या	दिनांक	सामग्री	राशि (GST को छोड़कर)
1.	S.B.M	2623	03..8.2022	RCC PIPE	37500
2.	S.B.M	2624	03..8.2022	RCC PIPE	37500
3.	S.B.M	2625	03..8.2022	RCC PIPE	37500
4.	S.B.M	2626	03..8.2022	RCC PIPE	37500
5.	S.B.M	2627	04.08.2022	RCC PIPE	37500
6.	S.B.M	2628	04.08.2022	RCC PIPE	37500
7.	15TH	3120	20.02.2023	RCC PIPE	32500
			योग		257500

कार्यालय ग्राम पंचायत घालुवाल

विकास खण्ड हरोली जिला ऊना हि० प्र०

वित्तीय बर्ष 2023-24 मे M/s Gagan & Brothers GHALUWAL को भुगतान की गई राशि का विवरण :-

क्र० स०	मद का नाम	बिल संख्या	दिनांक	सामग्री	राशि (GST को छोड़कर)
1.	MGNREGA	709	17.01.2023	Swing& Air Walker	42300
2.	MGNREGA	711	18.01.2023	Sitting Bench	12000
3.	MGNREGA	793	19.01.2023	Pipe, Sitting Bench	17486
4.	MGNREGA	710	17.01.2023	Cross Trainer,Swing	42300
5.	MGNREGA	1717	06.09.2023	Angle ,Wire	23980
6.	MGNREGA	1718	06.09.2023	Angle ,Wire	21756
7.	SBM	745	10.06.2023	टीन पतरे	39200
8.	SBM	746	10.06.2023	टीन पतरे	39200
9.	SBM	747	10.06.2023	Angle	39050
10.	SBM	748	10.06.2023	Pipe etc.	40160
11.	SBM	749	10.06.2023	Pipe, Angle	21609
12.	General	794	04.02.2023	Sitting Bench	12000
13.	General	802	06.02..2023	Frame Net	6120
14.	General	1580	09.08.2023	Sign Board, Paint ,etc	12711
15.	15TH	2045	09.01.2024	Railing Net	41258
16.	15TH	2054	09.01.2024	Railing Net	14602
17.	15TH	2047	09.01.2024	Pipe Shed	41258
18.	15TH	2048	09.01.2024	Pipe Shed	38146
19.	15TH	2049	09.01.2024	टीन पतरे, Wire etc.	38954
20.	15TH	2050	09.01.2024	Plain Sheet etc	35820
21.	15TH	2053	09.01.2024	See-Saw	18000
22.	15TH	2052	09.01.2024	Exercise Machine	27000
23.	15TH	2051	09.01.2024	Exercise Machine	38000
			योग		**662910**

प्रधान
ग्राम पंचायत
विकास खण्ड हरोली (ऊना)